छात्रों हेतु संस्था में विशेष आकर्षण-

१. निःशुल्क शिक्षा एवं शुद्ध पर्यावरण।

२. नियमित वेदपाठ एवं दैनिक यज्ञ पद्धति।

३. शुद्ध, सात्त्विक एवं पौष्टिक आहार।

४. सुसज्जित छात्रावास एवं शिक्षालय।

५. शुद्ध व्यवहार एवं आचरण के साथ संस्कारों की शिक्षा।

६. वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप कम्प्यूटर शिक्षा, क्रीडा सामग्री एवं खेल के मैदान, प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकगण।

७. छात्रों के शरीर सौष्ठव एवं विकास के लिये आधुनिक व्यायामशाला (जिमनेजियम) की व्यवस्था।

८. प्रतिदिन दिनचर्या में योगासन एवं व्यायाम।

९. विशाल पुस्तकालय एवं वाचनालय।

१०. संस्था विकास अनुदान हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा मान्य है।

११. शास्त्री (स्नातक) कक्षा के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) की सुविधा है।

१२. पूर्व मध्यमा (कक्षा-१०) एवं उत्तरमध्यमा (कक्षा-१२) परीक्षा की स्थायी मान्यता उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद देहरादून से है।

१३. शास्त्री (स्नातक) एवं आचार्य (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रमों की स्थायी सम्बद्धता उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार से है।

१४. स्नातकोत्तर योगाचार्य (द्विवर्षीय), ज्योतिषाचार्य (द्विवर्षीय) पी.जी. डिप्लोमा योग, पी.जी. डिप्लोमा, ज्योतिष पाठ्यक्रम उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से सम्बद्ध एवं मान्यता प्राप्त है।

9412159693
क्षेत्रपाल सिंह
मुख्याधिष्ठाता

7579469838
आचार्य हेमन्त तिवारी
आचार्य

डॉ. सोहन लाल बलूनी
प्राचार्य

मुद्रक : अनुभव प्रिंटिंग प्रेस, अवधूत मण्डल मार्केट, हरिद्वार मोबा. 9917010905

Email : gmv1908@yahoo.com
Website : gurukulmahavidyalaya.com

9219400173
9219406074
7579469838

ओ३म्

A-11

गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, हरिद्वार

सम्बद्ध- उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् देहरादून एवं
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
(आवासीय छात्रों के लिए)

उपासना मन्दिर

प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक सूचना

प्रवेश समय : शिक्षा सत्र २०१८-२०१९ से पूर्वमध्यमा प्रथम खण्ड से आचार्य स्तर तक के छात्रों का प्रवेश १ अप्रैल २०१८ से प्रारम्भ होगा।

प्रवेश शुल्क विवरण : प्रवेश शुल्क ५५००/- (नये छात्रों के लिये)

: पुनः प्रवेश शुल्क १२००/- रुपये (पुराने छात्रों के लिये)

भोजन व्यय : भोजन व्यय १५००/- रुपये मासिक है। प्रवेश के समय दो माह का भोजन व्यय देना होगा।

(भोजन व्यय प्रत्येक छात्र को १२ महीने का ही देना होता है)

प्रवेश के समय अभिभावक द्वारा छात्र को दिये जाने वाले सामान का विवरण

बिस्तर ऋतु अनुसार (दरी, चादर, गद्दा, लिहाफ), बनियान, लंगोट, अंगोछा अथवा तौलिया, एक ट्रंक/बक्सा, लोटा, चम्मच, कटोरी आदि सामान छात्र के प्रवेश के समय अभिभावक द्वारा लाना होता है।

प्रवेश के समय संस्था कार्यालय में जमा कराये जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों का विवरण

छात्र का एक फोटो पासपोर्ट साइज, छात्र के अभिभावक (माता-पिता) का पासपोर्ट साइज का फोटो, पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा का अंकपत्र (मार्कशीट), चरित्र प्रमाण-पत्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) अथवा प्रवजन प्रमाण-पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) तथा आधार कार्ड की छाया प्रति।

गणवेश (विद्यालय की ड्रैस)

कक्षा ९ (पूर्व मध्यमा प्रथम खण्ड से आचार्य श्रेणी तक)-

- सफेद कुर्ता, पायजामा/धोती एवं वूलन स्वेटर (माह नवम्बर से मार्च तक)

प्रवेश के समय छात्र के पास दो गणवेश (ड्रैस) होना अनिवार्य है।

विस्तृत पाठ्यक्रम एवं नियमावली ५०रुपये तथा प्रवेश आवेदन पत्र ५० रुपये जमा करने पर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

अभिभावक यदि विद्यालय द्वारा पुस्तक एवं गणवेश (ड्रैस) की सुविधा लेना चाहते हैं, तो विद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क कर सकते हैं।

पाठ्यक्रम एवं गणवेश (ड्रैस) का अनुमानित व्यय इस प्रकार है-

कक्षा	पाठ्य-पुस्तक मूल्य	गणवेश/ड्रैस मूल्य
पूर्व मध्यमा प्रथम खण्ड	१५००/- रुपये	५००/- रुपये
पूर्व मध्यमा द्वितीय खण्ड	१५००/- रुपये	५००/- रुपये
उत्तर मध्यमा प्रथम खण्ड	१५००/- रुपये	५००/- रुपये
उत्तर मध्यमा द्वितीय खण्ड	१५००/- रुपये	५००/- रुपये
शास्त्री प्रथम खण्ड	स्वयं व्यवस्था करें	स्वयं व्यवस्था करें
शास्त्री द्वितीय खण्ड	स्वयं व्यवस्था करें	स्वयं व्यवस्था करें
शास्त्री तृतीय खण्ड	स्वयं व्यवस्था करें	स्वयं व्यवस्था करें
आचार्य प्रथम खण्ड	स्वयं व्यवस्था करें	स्वयं व्यवस्था करें
आचार्य द्वितीय खण्ड	स्वयं व्यवस्था करें	स्वयं व्यवस्था करें

विशेष :

१. अपंग, विक्षिप्त, पोलियोग्रस्त, विकलांग एवं दुर्बुद्धि छात्र का प्रवेश नहीं हो सकेगा।

२. प्रविष्ट छात्र छात्रावास में शर्ट, पैन्ट, घड़ी, अंगूठी, कैमरा, मोबाईल, टी.वी., रेडियो, साईकिल, मोटरसाईकिल, आयरन प्रेस, हीटर तथा अन्य आपत्तिजनक सामान नहीं रखेगा। छात्रावास के संरक्षक इसके प्रति पूर्ण उत्तरदायी होंगे।

३. प्रविष्ट छात्रों को गुरुकुल के सभी नियम और उपनियम पालनीय एवं अनुकरणीय होंगे।

४. छात्र ग्रीष्मकाल में (१ जून से ३० जून तक), दीपावली में (५ दिन), होली में (४ दिन) ही घर जा सकेंगे। शेष अवकाशों में छात्र छात्रावास में ही रहेंगे।

५. प्रविष्ट छात्र बिना अवकाश/अनुमति के छात्रावास से बाहर अथवा घर नहीं जायेगा। बिना अनुमति के छात्र के घर भाग जाने पर छात्र के अभिभावक को लिखित आश्वासन देना होगा कि **'छात्र पुनः किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं करेगा।'** तभी उस छात्र को छात्रावास में रखा जा सकेगा। दो बार या उससे अधिक बिना अनुमति छात्रावास से घर अथवा अन्यत्र जाने पर छात्र का नाम विद्यालय एवं छात्रावास से पृथक कर दिया जायेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी छात्र के अभिभावक की होगी।

६. छात्र को आश्रम (छात्रावास) की मर्यादा के अनुसार ही आश्रम में रहना होगा। छात्र का आचरण उसकी, वेशभूषा, स्वरूप, दैनिक हवन (यज्ञ) में दोनों समय उसकी उपस्थिति आवश्यक है। इसके विपरीत आचरण करने पर छात्र को छात्रावास की सुविधा से तत्काल पृथक कर दिया जायेगा।